

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 405

प्रकरण क्रमांक- M-COM-2024-02540

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "गोविंद विहार", प्रमोटर-गुरुकृपा बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, द्वारा-श्री गगन काबरा, पता-जे.एन. काबरा कॉम्प्लेक्स, सदर रोड, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"गोविंद विहार", पता-ग्राम-सिंधौरी, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
21/08/2024	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>प्राधिकरण के आदेश पत्र दिनांक 14.08.2024 के अनुपालन में प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट "गोविंद विहार" के बैंक खाते के परिपालन पर लगायी गई रोक हटाने शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक ब्रांच-जयस्तंभ चौक, रायपुर को एवं समस्त इन्वेन्ट्री के खरीदी-बिक्री पर लगाये गये रोक हटाने हेतु जिला-पंजीयक/उप-पंजीयक मुद्रांक एवं पंजीयन छ.ग. बेमेतरा एवं प्रतिलिपि कलेक्टर, जिला-बेमेतरा को दिनांक 21.08.2024 को पत्र प्रेषित कर प्रति प्रकरण में संलग्न है तथा मूल प्रकरण में प्रति संलग्न है। प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।</p> <p>आदेश प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया जावे। तत्पश्चात् अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	